न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर

राजस्व वाद 67/2022(2022/219)

1. सिराजुद्दीन पुत्र ख्वाज मोहम्मद मंसूरी जाति मुसलमान निवासी जूनिया तहसील केकडी जिला अजमेर। ——प्रार्थी

♠ बनाम ♠

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय केकडी। —— अप्रार्थी

राजस्व प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट

उपस्थितः—
प्रार्थी वकील :— श्री इमदाद अली
पेराकार सरकार :— जरिये तहसीलदार केकडी

आदेश

दिनांक 14.5.2022

[redacted]वली आज राष्ट्रीय लोक अदालत मे पेश हुई। प्रार्थी द्वारा प्रकरण संक्षेप में राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत प्रस्तुत किया है। उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात बाके **ग्राम जुनिया तहसील केकडी जिला अजमेर में स्थित है। आराजी** की जमाबन्दी संवत **2073—76** में दर्ज अंकन निम्नानुसार दर्ज रिकॉर्ड है:—

खाता संख्या (नया—पुराना)	खसरा नम्बर	रकबा (है.)	किस्म
1117—1017	436	0.18	आ0

उक्त वर्णित आराजीयात प्रार्थी की आवासीय आराजीयात है जो प्रार्थी के निरन्तर कब्जे स्वामित्व आधिपत्य में चली आ रही है। उक्त आराजीयात के पूर्वी ओर आम सडक ख नं. 447 के लगवा ख नं. 7087/436 रकबा 0.1620 भूमि समर्पण की गयी है। प्रार्थी द्वारा अपनी उक्त आराजीयात मे कार्य करवाना चाहता है जिसके लिए प्रार्थना पत्र के पेरा सं. 1 में वर्णित आराजीयात व उसके लगवा समर्पण की गयी भूमि ख नं. 7087ध436 में स्थायी पत्थरगढी होकर सीमांकन हो जावे तो खेत पडोस व सहखातेदारो में रास्ते [redacted]मि को लेकर किसी प्रकार विवाद नही हो इसलिए प्रार्थी अपनी भूमि ख नं. 436 व समर्पण की गयी भूमि 7087/436 पर पत्थरगढी करवाना चाहता है। प्रार्थी ने प्रतिवादी के कार्यालय मे उक्त आराजी की स्थायी पत्थरगढी करने का निवेदन किया तो प्रतिवादी ने श्रीमान् के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के लिए कहा तथा प्रतिवादी द्वारा निम्न वर्णित आराजीयात का मोके पर जाकर सीम्र ज्ञान के समय उक्त भूमि के पडोसीयो ने मोके पर सीमा ज्ञान नही होने दिया तथा सीमा ज्ञान के प्रार्थना पत्र पर उक्त भूमि के पडोसीयो द्वारा हस्ताक्षर भी नही किये गये तथा प्रार्थी को धमकी दी गयी की हम सीमा ज्ञान नही होने देगे जिसे प्रार्थी को काफी परेशानीयो का सामना करना पड रहा है। इसलिए वर्णित आराजीयात व समर्पण की भूमि की पत्थरगढी किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है इसलिए यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना लाजमी आया है। प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वर्णित आराजीयात का व समर्पण की भूमि स्थायी पत्थरगढी किया जाना न्यायोचित हैं जिससे की प्रार्थी व अन्य पडोसीयो से किसी प्रकार का मोके पर विवाद उत्पन्न नही हो। इसलिए प्रार्थी की भूमि ख नं. 436 व समर्पण की गयी भूमि 7087/436 की स्थायी पत्थरगढी किये जाने के आदेश प्रदान करवाया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के श्रेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में हैं। उक्त प्रार्थना पत्र में प्रार्थी अपनी उपरोक्तानुसार आराजी पर पत्थर गढ़ी कराने का निवेदन अपने प्रार्थना पत्र में किया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.06.22 11:38:56 IST
Reason: SelfAttested

सदस्य
उपखण्ड अधिकारी
लोक अदालत में
(तालुका विधिक सेवा समिति)
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with CamScanner

प्रकरण श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी जरिये पैरोकार सरकार को जरिये नोटिस तलब किया गया। पैरोकार सरकार द्वारा जवाब में बताया कि राजहित प्रभावित नही है प्रार्थी द्वारा पडोसी खातेदारन को पक्षकार नही बनाया गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया । पक्षकारान की बहस पर मनन किया। प्रार्थी प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी का खातेदार काश्तकार है। खातेदार काश्तकार को स्वयं की खातेदारी की पत्थरगढी करवाने के हक अधिकार है।खातेदार काश्तकार को स्वयं की खातेदारी की पत्थरगढी करवाने के हक अधिकार है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 भू.रा.अधि. के तहत स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार केकडी वाके ग्राम जुनिया तहसील केकडी की जमाबन्दी संवत 2073–76 के खाता संख्या नया पुराना 1117–1017 के खसरा नंबर 436 रकबा 0.18हैक्टर की पत्थरगढी प्रार्थी द्वारा नियमानुसार पत्थरगढी शुल्क जमा कराने पर कार्मिकों की टीम गठित करके की जावें। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें।

आदेश राष्ट्रीय लोक अदालत मे सरे इजलास सुनाया गया।

(विकास पचोली)
सदस्य
उपखण्ड अधिकारी
केकडी (अजमेर)

न्यायिक अधिकारी
लोक अदालत बैंच
तालुका विधिक सेवा समिति
केकडी जिला-अजमेर

लोक अदालत बैंच
(तालुका विधिक सेवा समिति)
केकडी (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.06.22 11:38:56 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner